भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
(वी ए एस सेल)
संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं0 311-88/2005-वीएएस/30 दिनांक 19.05.2006

सेवा में

सभी पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिग सेवाए लाइसेंसधारक

विषयः- मौजूदा प्रचालकों के अंतरण और पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवाओं के लिए लाइसेंस जारी करने के संबंध में दिनांक 01.11.2001 के ब्यौरेबार दिशानिर्देशों में संशोधन।

मौजूदा प्रचालकों के अंतरण और पब्लिक मोबाइन रेडियों ट्रंकिंग सेवाओं के लिए नए लाइसेंस जारी करने के संबंध में दिनांक 01..11.2001 के ब्यौरेबार दिशा-निर्देशों के निम्नलिखित खंडों के संशोधन के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन को संसूचित करने का मुझे निदेश हुआ है। मैजूदा खंड और संशोधित खंड नीचे दिए गए हैं :-

मौजूदा खंड	**संशोधित खंड**
खंड ख (ii) पीएमआरटीएस के प्रचालन के लिए नए लाइसेंस गैर-अनन्य "पहले आओ पहले पाओ" आधार पर प्रदान किए जाएगें। लाइसेंस प्रदान करने के समय एक एमएचजेड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा।	**खंड ख (ii)** पीएमआरटीएस के प्रचालन के लिए नए लाइसेंस गैर-अनन्य पहले आओं पहले पाओ आधार पर प्रदान किए जाएगें।
खंड ख (ii) नए पीएमआरटीएस लाइसेंसधारक केवल डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रयोग करने के लिए वाध्य होगें।	**खंड ख (iii)** औचित्यपूर्ण अपेक्षाओं और उनकी उपलब्धता पर आधारित फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा।

2. मौजूदा प्रचालकों के अंतरण और पब्लिक मोबाइल रेडियों ट्रंकिंग सेवाएं (पीएमआरटीएस) के लिए नए लाइसेंस जारी करने के संबंध में दिनांक 01.11.2001 के विस्तृत दिशा-निर्देशों के अन्य खंडों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

ह/0
(राजवीर शर्मा)
निदेशक (वीएएस- I)
दूरभाष 23036253

प्रति निम्नलिखित को :-

1. वेतार सलाहकार, डब्ल्यूपीसी, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली-1
2. वरिष्ठ उपमहानिदेशक (टीईसी), के.एल.भवन, नई दिल्ली-1
3. वरिष्ठ उपमहानिदेशक (एलएफ), दूरसंचार भवन, नई दिल्ली-1
4. सचिव, ट्राई, नई दिल्ली
5. उपमहानिदेशक (एलआर) संचार भवन, नई दिल्ली-1 को इस अनुरोध सहित कि संशोधन को दूरसंचार विभाग की वेबसाइट WWW.DOTINDIA-gov-in पर प्रकाशित किया जाए।

52